बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

संकल्प

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने के लिए "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में ।**

वित्तीय वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित कराई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास के निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है । योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने के लिए लाभुकों के पास आवश्यकता के अनुरूप वास भूमि उपलब्ध रहना अनिवार्य है । मार्गदर्शिका के अनुसार आवास निर्माण के लिए स्वच्छ रसोई घर सहित 25 वर्ग मीटर का क्षेत्र निर्धारित है ।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी फ्रेमवर्क की कंडिका-5.2.2 में भूमिहीन लाभार्थियों के मामले में लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि (पंचायती सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि से वास योग्य भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है तथा योजनान्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिये जाने के साथ ही भूमिहीन लाभार्थी को भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूरी करनी है ।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण अपने संसाधनों से भूमि क्रय नहीं कर पाते हैं और लाभार्थी प्रतीक्षा सूची में नाम आने के बावजूद भी वास भूमि के अभाव में आवास का लाभ पाने से वंचित हैं । ऐसे वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय हेतु **"मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना"** का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया है ।

4. योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु प्रति लाभार्थी भूमि क्रय के लिए 60,000 (साठ हजार) रूपये सहायता राशि निम्न प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जायेगी :-

i. लाभुक द्वारा क्रय किये जाने वाली वास भूमि का चयन जिस ग्राम पंचायत के प्रतीक्षा सूची में उनका नाम है उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वयं किया जायेगा ।

ii. वास भूमि क्रय हेतु लाभुक द्वारा विहित प्रपत्र में सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं वास भूमि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र दिया जायेगा । यह आवेदन आधार नंबर के साथ एवं आधार Seeded बैंक खाता विवरण सहित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समर्पित कर उसकी प्राप्ति रसीद ली जायेगी ।

iii. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी से यह प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा लाभार्थी के पंचायत अंतर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है । अंचलाधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र 15 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

iv. लाभुक से विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन एवं अचंलाधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा वास भूमि क्रय हेतु 60,000 (साठ हजार) रूपये स्वीकृत किया जाएगा तथा स्वीकृत राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार Seeded बैंक खाता में उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

v. लाभार्थी द्वारा 3 (तीन) माह के अंदर वास भूमि का क्रय कर निबंधित भूमि के दस्तावेज की मूल प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी । लाभार्थी से दस्तावेज प्राप्ति के पश्चात प्रतीक्षा सूची का क्रम आने पर 15 दिनों के अंदर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थी को आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की विमुक्ति की जायेगी ।

vi. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निबंधित दस्तावेज की छाया प्रति कराकर उसे सत्यापन करते हुए अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा तथा मूल दस्तावेज लाभुक को वापस कर दिया जायेगा ।

vii. लाभुक द्वारा उपर्युक्त कंडिका-v में निहित अवधि में वास भूमि क्रय नहीं करने पर दी गई राशि की वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।

5. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षोपरान्त गुण-दोष के आधार पर योजना में आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधन एवं भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए विभाग स्वयं सक्षम होगा ।

6. विभाग द्वारा समीक्षोपरांत आवश्यकता को देखते हुए "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" को आगामी वर्षों में भी यथावत जारी रखा जा सकेगा ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/8/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

O:\D Drive\Mukesh\Sankalp 2018-19 (04).doc

ज्ञापांक 386652 पटना, बिहार 30/08/2018

ग्रा0वि-5/प्र0आ0यो0 (गृह स्थल)-102-28/2017

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

30/8/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386652 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386652 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्षा/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386652 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386652 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

30/8/2018

सरकार के सचिव